



### MODE OF ADMISSION

2 अगस्त, 2020 को आयोजित प्रवेश समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कला, वाणिज्य, विधि, विज्ञान और ललित कला संकायों में स्नातक अभ्यर्थियों का दाखिला कक्षा 12 या समकक्ष में प्राप्त अंको के आधार पर लिया जायेगा।

As per decision taken in the admission committee meeting held on August 2, 2020, admissions in the Faculties of Arts, Commerce, Law, Science and Fine Arts Under Graduate students shall be admitted on the basis of marks obtained in class 12 or equivalent examination.

योग्यता के क्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जायेगा :-

Order of Merit will be determined as follows :-

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में बराबर अंक/श्रेणी प्राप्त किये हैं तो प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा:-

If two or more candidates have secured equivalent marks/rank in the merit Index, then the merit for admission will be determined as follows:-

यदि अभ्यर्थियों के कक्षा 12 परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किया है।

If the marks secured in class 12 or equivalent examination are the same in such cases first preference will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks at High School or equivalent examination.

यदि हाई स्कूल में प्राप्त अंक भी बराबर है तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

If the marks obtained at the High School or equivalent examination are also the same, then in that case the older candidate will be given priority.

अभ्यर्थी योग्यता (मेरिट) के आधार पर पर भारण (यदि कोई है) के लिए हकदार होगा।

The candidate shall be entitled to weightages (if any) on the merit.